

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 134/आ०प्र०, दिनांक- 20.03.2014 के चालू वित्तीय वर्ष 2013 -14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य -02 - बाढ़ चकावात आदि , लघु शीर्ष -101- अनुयाहिक राहत ,उपशीर्ष -0003 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड - एन0-224502/1010003 मांग संख्या -39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत इस जिला को मो0-14,00,000/- (चौदह लाख)रु० मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है । यह आवंटन जिला पदाधिकारी. मधेपुरा के पत्रांक 56 दिनांक 07.03.14 के द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	अंचल अधिकारी ,चौसा	शून्य	8,50,000/-	8,50,000/-
02	अंचल अधिकारी आलमनगर	शून्य	4,50,000/-	4,50,000/-
03	अंचल अधिकारी ,मुरलीगंज	शून्य	1,00,000/-	1,00,000/-
	कुल योग :-		14,00,000/-	14,00,000/-

उपावंटन की शर्तें :-

1. उपरोक्त आवंटन आदेश वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
2. इस राशि का व्यय मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य -02 - बाढ़ चकावात आदि , लघु शीर्ष -101- अनुयाहिक राहत ,उपशीर्ष -0003 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड - एन0-224502 1010003 मांग

संख्या 39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।
4. उप आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर जो दिनांक 27.06.07 से प्रभावी है , उपावंटित राशि की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vocher Bill के माध्यम से ही की जाय । अपिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियामावली प्रवधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र भेज दिया जाय ।
5. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे ।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए । इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए ।

जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा ।

झापांक 89 दिनांक 22-03-2014

प्रतिलिपि : - अंचल अधिकारी चौसा / आलमनगर / मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज / मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन ,
बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

22/3/14
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा ।